भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1569
28/07/2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

1569. कु. सुधा आर:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यदि हाँ, तो वर्ष 2020 से अब तक इसका वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत 2020 से मछुआरों के मनोरंजन और कार्य-प्रयोजनों हेतु बनाए गए आवासों तथा सामुदायिक भवनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) तमिलनाडु के मयिलादुथुरै लोक सभा क्षेत्र में, जिसमें लगभग 71 किमी का समुद्रतट है, मछुआरों के लिए कितने मकानों और सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है; और
(घ) मयिलादुथुरै लोक सभा क्षेत्र के मछुआरों के लिए आवास, सामुदायिक भवन तथा नलकूपों हेतु आवेदन करने, स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा तमिलनाडु में संबंधित नोडल अधिकारी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वर्ष 2020-21 से 20,750 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए कई कल्याण संबंधी गतिविधियों की परिकल्पना की गई है जैसे (i) समुद्री राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेज का विकास, जिसका उद्देश्य टिकाऊ मत्स्यन पद्धतियों के माध्यम से पर्यावरणीय नुकसान को कम करते हुए तटीय मछुआरों को आर्थिक और सामाजिक लाभ को अधिकतम करना है, (ii) 18 से 70 वर्ष की आयु में आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5.00 लाख रुपए का बीमा कवरेज, आकस्मिक स्थायी शारीरिक अक्षमता के लिए 2.50 लाख रुपए और आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 रुपए (iii) मत्स्यन प्रतिबंध या मंद अवधि (लीन पीरियड) में मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए, 18 से 60 साल की उम्र के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े पारंपरिक मछुआरा परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता देना। जिसमें सामान्य राज्य के लिए 50:50, उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 80:20 जबकि केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100% के अनुपात में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान तीन महीने के लिए प्रति मछुआरे और लाभार्थियों को 1500/- रुपये की दर से सहायता प्रदान की जाती है। (iv) पीएमएमएसवाई योजना के तहत 'वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम' का राष्ट्रीय रोलआउट प्लान, जिसमें कुल 364.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,00,000 फिशिंग वेलल्स पर ट्रांसपोंडर लगाना शामिल है, जिससे मछुआरों और उनके जहाजों की सुरक्षा बढ़ जाती है। स्वीकृत एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांव, प्रदान किए गए समूह दुर्घटना बीमा कवरेज, आजीविका और पोषण सहायता और वितरित ट्रांसपोंडर का राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुबंध- I, II, III और IV में दिया गया है।

(ख) और (ग): चल रही पीएमएमएसवाई योजना के तहत, मछुआरों के लिए ऐसी कोई आवास योजना केंद्रीय रूप से कार्यान्वित नहीं की जा रही है। हालाँकि, तमिलनाडु सरकार ने सूचित है कि उनकी राज्य योजना की मछुआरा आवास योजना के तहत, 2883 घरों का निर्माण किया गया है, जिसमें वर्ष 2020 से तमिलनाडु के मयिलादुथुराई लोकसभा क्षेत्र में 19 मछुआरों के घर शामिल हैं।

(घ) : तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पात्र मछुआरे 'मछुआरा आवास योजना' (Fishermen Housing Scheme) के तहत सहायता के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरकर और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि (i) आधार कार्ड की एक प्रति, (ii) फैमिली स्मार्ट कार्ड, (iii) मछुआरा सहकारी समिति सदस्यता कार्ड और (iv) भूमि स्वामित्व दस्तावेज (पट्टा/भूमि विलेख) संलग्न करके सहायक मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण निदेशक, मयिलादुथुरै के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। मात्स्यिकी सहायक निदेशक आवेदनों की जांच करते हैं और पात्र आवेदनों को मात्स्यिकी

निदेशक, चेन्नई को भेज दिया जाता है। निदेशालय, उचित जांच के बाद, पात्र आवेदनों की सिफारिश ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के निदेशक से करता है। इसके बाद, आवेदनों को संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) को भेज दिया जाता है। संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) आवेदक के भूमि स्वामित्व और पात्रता को सत्यापित करने के लिए एक फील्ड इंस्पेक्शन करते हैं। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर और निर्धारित मानदंडों के पूरा होने की स्थिति में, डीआरडीए (DRDA) पात्र लाभार्थी को घर स्वीकृत और आवंटित करता है। हालाँकि, मयिलादुथुरै लोकसभा क्षेत्र में कम्युनिटी हॉल (सामुदायिक भवन) या बोरवेल (ट्यूबवेल) के निर्माण से संबंधित कोई भी परियोजना लागू नहीं की गई है।

अनुबंध- I

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के संबंध में 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय संसद सदस्य कु. सुधा आर द्वारा पूछे गए लोकसभा में अतारांकित प्रश्न 1569 के भाग- (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण: देश में समुद्री राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्वीकृत एकीकृत आधुनिक तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों का राज्य-वार विवरण।

क्रम संख्या	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**एकीकृत आधुनिक तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	15
2.	दमन और दीव	1
3.	गोवा	2
4.	गुजरात	8
5.	कर्नाटक	5
6.	केरल	6
7.	महाराष्ट्र	15
8.	ओडिशा	18
9.	पुदुचेरी	2
10.	तमिलनाडु	16
11	पश्चिम बंगाल	5
12.	अंडमान और निकोबार	5
13.	लक्षद्वीप	2
कुल		**100**

अनुबंध- II

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के संबंध में 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय संसद सदस्य कु. सुधा आर द्वारा पूछे गए लोकसभा में अतारांकित प्रश्न 1569 के भाग- (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण: 2021-22 से 2025-26 के समय के दौरान ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम (GAIS) के तहत कवर हुए मछुआरों की राज्य-वार जानकारी

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का नाम	बीमित मछुआरों की संख्या	GAIS के लिए भुगतान की गई कुल प्रीमियम राशि (रु. में)	प्राप्त दावा सूचनाएँ	प्राप्त दावा प्रस्ताव	दावें निपटान किए	तय की गई राशि (रु. में)
	राज्यों						
1	आंध्र प्रदेश	-	-	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	4,173	1,56,34,814	1	0	0	0
3	असम	8,83,630	5,75,93,811	27	7	4	15,23,746
4	बिहार	7,50,000	5,81,03,715	23	12	3	15,00,000
5	छत्तीसगढ़	11,02,377	6,70,02,882	64	43	12	57,50,000
6	गोवा	14,540	74,74,435	3	2	1	5,00,000
7	गुजरात	4,91,237	3,16,45,793	75	51	10	50,00,000
8	हरियाणा	8,076	13,39,593	2	1	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	54,988	43,91,153	22	15	6	25,75,000
10	झारखंड	8,36,991	5,37,95,505	37	14	4	20,00,000
11	कर्नाटक	3,62,371	3,12,65,226	101	60	21	1,05,00,000
12	मध्य प्रदेश	5,04,264	3,88,62,347	33	17	1	5,00,000
13	महाराष्ट्र	5,25,519	3,38,60,296	95	55	25	1,25,00,000
14	मणिपुर	8,534	6,25,762	1	1	1	5,00,000
15	मेघालय	4,280	6,36,36,549	0	0	0	0
16	ओडिशा	53,91,593	37,19,24,579	200	158	102	4,70,14,059
17	पंजाब	15,959	13,10,880	0	0	0	0
18	राजस्थान	24,426	16,93,696	3	3	2	10,00,000
19	सिक्किम	2,905	3,20,54,073	0	0	0	0
20	तमिलनाडु	27,81,317	20,64,96,254	1,120	920	591	28,13,16,727
21	तेलंगाना	18,53,832	13,01,89,464	1,532	1,252	948	47,03,89,005
22	त्रिपुरा	1,81,724	2,05,63,794	6	2	0	0
23	उतार प्रदेश	5,19,570	3,37,05,988	30	17	5	20,21,385
24	उत्तराखंड	18,115	11,36,819	0	0	0	0
25	पश्चिम बंगाल	8,499	6,15,668	3	0	0	0
	कुल	**1,63,48,920**	**1,26,49,23,096**	**3,378**	**2,630**	**1,736**	**84,45,89,922**
	केंद्र शासित प्रदेश						
1	अंडमान और निकोबार	65,087	52,28,182	26	16	3	15,00,000
2	दिल्ली	1,881	1,54,438	0	0	0	0
3	दमन और दीव	38,267	30,92,852	0	0	0	0
4	जम्मू और कश्मीर	1,25,309	1,02,07,033	16	10	5	25,00,000
5	लक्षद्वीप	11,142	6,87,641	4	3	2	5,18,224
6	लद्दाख	2,674	4,28,382	0	0	0	0
7	पुदुचेरी	1,71,456	1,38,81,474	92	71	28	1,25,75,000
	कुल	**4,15,816**	**3,36,80,001**	**138**	**100**	**38**	**1,70,93,224**
	कुल योग	**1,67,64,736**	**1,30,68,73,953**	**3,521**	**2,730**	**1,774**	**86,16,83,146**

अनुबंध-III

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के संबंध में 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय संसद सदस्य कु. सुधा आर द्वारा पूछे गए लोकसभा में अतारांकित प्रश्न 1569 के भाग- (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण: विगत छह (6) वर्षों (2020-21 से 2025-26) के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि (फिशिंग बैन पीरियड) के दौरान आजीविका और पोषण सहायता प्राप्त करने वाले मछुआरों की कुल संख्या और औसत का विवरण।

(रुपए लाख में)

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	कुल 6 वर्ष			औसत 6 वर्ष		
		वास्तविक (सं.)	परियोजना लागत	भारत सरकार का शेयर	वास्तविक (सं.)	परियोजना लागत	भारत सरकार का शेयर
1	अंडमान और निकोबार	1000	45.00	30.00	1000	45.00	30.00
2	आंध्र प्रदेश	442720	19922.40	6640.80	110680	4980.60	1660.20
3	असम	104000	4680.00	2496.00	20800	936.00	499.20
4	बिहार	50000	2250.00	750.00	50000	2250.00	750.00
5	छत्तीसगढ	58000	2610.00	870.00	9667	435.00	145.00
6	गुजरात	30000	1350.00	450.00	30000	1350.00	450.00
7	हिमाचल प्रदेश	20881	939.67	501.15	3480	156.61	83.53
8	जम्मू और कश्मीर	88225	3970.13	2646.77	14704	661.69	441.13
9	कर्नाटक	135378	6092.02	2030.68	22563	1015.34	338.45
10	केरल	1004920	42751.59	14554.51	167487	7125.27	2425.75
11	लक्षद्वीप	2500	112.50	75.00	2500	112.50	75.00
12	मध्य प्रदेश	59645	2684.04	894.69	11929	536.81	178.94
13	महाराष्ट्र	4000	180.00	60.00	2000	90.00	30.00
14	मिजोरम	25174	1132.84	604.18	6294	283.21	151.04
15	ओडिशा	68000	3060.00	1019.97	13600	612.00	203.99
16	पुदुचेरी	162334	7305.04	4870.02	27056	1217.51	811.67
17	राजस्थान	2303	102.09	34.11	1152	51.05	17.06
18	सिक्किम	695	31.28	16.68	174	7.82	4.17
19	तमिलनाडु	1100230	55775.36	16503.46	183372	9295.89	2750.58
20	तेलंगाना	10000	450.00	150.00	3333	150.00	50.00
21	त्रिपुरा	18677	806.88	448.25	3735	161.38	89.65
22	उत्तर प्रदेश	1000	45.00	15.00	1000	45.00	15.00
23	उत्तराखंड	200	9.00	4.80	200	9.00	4.80
कुल		**33,89,882**	**156304.84**	**55666.07**	**5,64,980**	**26,050.80**	**9277.68**

अनुबंध-IV

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के संबंध में 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय संसद सदस्य कु. सुधा आर द्वारा पूछे गए लोकसभा में अतारांकित प्रश्न 1569 के भाग- (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फिशिंग वेसल्स पर PMMSY के वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम के नेशनल रोलआउट प्लान के तहत ट्रांसपोंडर लगाने की राज्य-वार जानकारी

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	निर्धारित कुल लक्ष्य	स्थापित ट्रांसपोंडर की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8305	4964
2.	दमन और दीव	1425	1239
3.	गोवा	2815	1219
4.	गुजरात	26,529	16,395
5.	कर्नाटक	12003	8011
6.	केरल	15684	8689
7.	महाराष्ट्र	12160	9133
8.	ओडिशा	4164	2190
9.	पुदुचेरी	3732	2853
10.	तमिलनाडु	7373	0
11.	पश्चिम बंगाल	3396	2548
12.	अंडमान और निकोबार	1814	0
13.	लक्षद्वीप	550	17
कुल		100000	57,258
